मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 73/2020

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल, 2020

प्रति,

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक,
मध्यप्रदेश

2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं/दलहन एवं तिलहन के उपार्जन बाबत्।
संदर्भ- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्र. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27.03.2020

.... 00 ....

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित (संलग्न) पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन की गतिविधियों को COVID-19 (CORONA VIRUS) के लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है।

प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं/दलहन एवं तिलहन उपार्जन कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना है। उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाएं एवं उपार्जन सुचारू रूप से किया जा सके, इस हेतु निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं:-

1. प्रदेश के लगभग 4,000 उपार्जन केन्द्रों पर बारदाने, धागा, छापा, सिलाई मशीन का प्रदाय हेतु सुगमता से परिवहन किया जा सके।
2. फसल की तुलाई आदि कार्य हेतु हम्माल, तुलावटी एवं उपार्जन हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, गुणवत्ता परीक्षक, नोडल अधिकारी आदि का सुगमता से आवागमन हो सके।
3. उपार्जन के दौरान स्कंध का निर्बाध रूप से परिवहन हो सके।
4. खाद्य विभाग द्वारा जिन किसानों को मोबाईल पर उपार्जन हेतु SMS प्रेषित किए जाएगें केवल उन्ही किसानों से निर्धारित दिवसों में उपज की तौल की जाएगी। अत: उपार्जन केन्द्रों पर जाने हेतु मात्र उन किसानों (स्कंध के परिवहन हेतु उपयोग किए गए वाहन सहित) को ही अनुमति दी जावे, जिनके मोबाईल पर खाद्य विभाग द्वारा उस दिन आने की सूचना भेजी गई हो।
5. उपार्जन केन्द्रों पर जाने के मार्गो पर पुलिस व्यवस्था लगाकर access control किया जावे।
6. कलेक्टर द्वारा जिले के Vulnerable उपार्जन केन्द्रों की मैपिंग की जावेगी। इन केन्द्रों पर विशेष पुलिस बल लगाया जाए।
7. ग्राम से SMS प्राप्त किसान ही उपार्जन के लिए निकले इस हेतु आवश्यकतानुसार पंचायत सचिव/रोजगार सहायक/पटवारी आदि को Special Police Officer के अधिकार देकर उनकी ड्यूटी लगवाई जाएगी, उनको वांछित सहयोग प्रदान करें।
8. बड़े उपार्जन केन्द्रों/साइलों इत्यादि पर निरंतर भ्रमण किया जाए एवं सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना हेतु जारी अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

अत: उक्तानुसर कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, मध्यप्रदेश

क्रमांक /खाद्य /2020/ 74 भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि- सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य, सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग ।
6. समस्त, संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, मध्यप्रदेश

No. 40-3/2020-DM-I(A)

Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 27th March, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Order No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 24th March, 2020 and 25th March and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues the 2nd Addendum to the guidelines, as Annexed to the said Order issued to Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities with the directions for their strict implementation.

27/03/20

Home Secretary

To

1. **The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India**
2. **The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories**

   (As per list attached)

Copy to:

i. All members of the National Executive Committee.

ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India, Ministry of Home Affairs

Subject: 2nd Addendum to Guidelines annexed to the Ministry of Home Affairs Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated24.03.2020

A. **Addition of sub clause (h) & (i) in exceptions to Clause 2**

h. Agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations.

i. 'Mandis' operated by the Agriculture Produce Market Committee or as notified by the State Government.

B. **Sub-clause (a) in exceptions to Clause 4** includes shops of fertilizers.

C. **Addition of sub clause (I) & (j) in exceptions to Clause 4:**

i. Farming operations by farmers and farm workers in the field.

j. 'Custom Hiring Centres (CHC)' related to farm machinery.

C. **Addition of SubClause (e) in exceptions to** Clause 5

e. Manufacturing and packaging units of Fertilisers, Pesticides and Seeds.

D. **Addition of** SubClause (e) **in exceptions to** Clause 6

e. Intra and inter-state movement of harvesting and sowing related machines like combined harvester and other agriculture/horticulture implements.

27/03/2020
Home Secretary